

4

तंख्या-3070/तत्तर-6-2005-3/21/93

प्रक,

जगन्नाथ पाल,  
तंत्रुक्त तचिव,  
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्चशिक्षा,  
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

उच्चशिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2005

विषय:- प्रदेश के असातकीय महाविद्यालयों को अल्पतंत्रुक्त तंत्रुथा घोषित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश के असातकीय महाविद्यालयों को अल्पतंत्रुक्त तंत्रुथा घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश तंख्या-296/15-19-95-3/21/93, दिनांक 9-3-95 द्वारा तचिव, उच्चशिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित तंत्रुमिति की दिनांक 21-6-2005 को आयोजित बैठक में तंत्रुमिति द्वारा की गयी तंत्रुत्तिति के क्रम में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमिनीटीज ताइंत रण्ड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद, तीतापुर द्वारा बांछित अंश्लेख/विबरण उपलब्ध करा दिये गये हैं।

अतः तंत्रुक्त विचारोपरान्त श्री राज्जबाल उक्त महाविद्यालय को 3070 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तंत्रु अंश्लेखित बांछकर्मों हेतु तांत्कालिक प्रमां तंत्रु अल्पतंत्रुक्त तंत्रुथा घोषित करने की तंत्रुवीकृति तंत्रुहर्ष प्रदान करते हैं।

म्हदीय

जगन्नाथ पाल  
तंत्रुक्त तचिव

तंख्या-3070/1/तत्तर-6-2005, तददिनांक।

प्रतिलिखित निम्नलिखित को तंत्रुचनार्थ रब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलतचिव, तंत्रुमिति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 2- तचिव/प्रबन्धक, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमिनीटीज ताइंत रण्ड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद, तीतापुर।

आज्ञा

जगन्नाथ पाल  
तंत्रुक्त तचिव